संख्या-43/2025/पी-484 /002-38-9002 002 2 2022

प्रेषक,

अजय कुमार मिश्र,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 21 अक्टूबर, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय-व्ययक में सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित बजट के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 76.66 लाख (रूपये छिहत्तर लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9035/एफ-31(13)/यूपीआरआरडीए/2025-26, दिनांक 06.10.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संचालन हेतु सहायता अनुदान में गैर वेतन मद के लिए प्रावधानित धनराशि रू0 230.00 लाख (रूपये दो करोड़ तीस लाख मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 76.66 लाख (रूपये छिहत्तर लाख छियासठ हजार मात्र) को आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(2) पूर्व स्वीकृत किश्त के नियमानुसार व्यय/समायोजन व आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) प्रश्नगत धनराशि को आहरित कर बैंक, पी0एल0ए0 या डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करते हुए अपितु प्रकरण में आवश्यकता व औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट होते हुए नियमानुसार ही किया जायेगा।

(6) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

(10) धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 76,66,000 (रुपये छिहत्तर लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 2515008000401 उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या यू0ओ0-E-2-61-X-2025-26-दिनांक: 15-10-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

संख्या-43/2025/पी-484/002-38-9002 002 2 2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- श्री चन्द्रिका प्रसाद (नोडल अधिकारी), उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ0प्र0 बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम में प्रविष्टि करने हेतु।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।